

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर , कानपुर देहात

प्रकीर्ण वाद सं० 452/2023

UPRN180031232023



सरकार

बनाम

गौरव कटियार

धारा 279,337,338 भा०द०सं०

थाना घाटमपुर, कानपुर नगर

मु०अ०सं० 495/2023

आदेश

आवेदक/प्रार्थी गौरव कटियार द्वारा मु०अ०सं० 495/2023 धारा 279,337, 338 भा०द०सं० थाना घाटमपुर, कानपुर नगर में निरुद्ध वाहन संख्या UP 78 ED 6212 को अपने पक्ष में अवमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

थाने की आख्या के अनुसार मु०अ०सं० 495/2023 धारा 279,337,338 भा०द०सं० थाना घाटमपुर, कानपुर नगर में वाहन संख्या UP 78 ED 6212 निरुद्ध है।

प्रार्थना पत्र पर आवेदक के अधिवक्ता को सुना व प्रपत्रों का अवलोकन किया। इस परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाहन से सम्बंधित सत्यापित प्रपत्र आर०सी०, डी०एल० व बीमा का अवलोकन किया। पंजीयन प्रमाण पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि वाहन संख्या UP 78 ED 6212 के पंजीकृत स्वामी गौरव कटियार हैं।

सम्बंधित थाने की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहन चूंकि थाने पर खड़ा है अब उसे ज्यादा समय तक थाने पर निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। अतएव माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्न विधि व्यवस्था के अलोक में वाहन को अवमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम स्टेट आफ गुजरात राज्य A.i.R,2003 ,(S C) 638, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि गाड़ी के थाने पर खड़े रहने से उसका हास होगा और साथ ही इससे राष्ट्रीय क्षति भी होगी।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को निम्न शर्तों के अधीन प्रश्रुत वाहन उसकी सुपुदगी में दिया जाये

1. प्रार्थी / पंजीकृत स्वामी द्वारा 2,00,000/-रुपये की एक जमानत एवं इतनी ही धनराशि का निजीबंध पत्र दाखिल किया जाये।
2. इस आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत की जाये कि वह दौरान मुकदमा उपरोक्त वाहन को न तो बेचेगा और न ही उसके रंगरूप आदि में कोई परिवर्तन करेगा। न्यायालय द्वारा वाहन आहूत करने पर अपने खर्चे पर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

3. प्रश्रुत वाहन से सम्बंधित प्रपत्रों की तीन तीन फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जाये।
सम्बंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी / वाहन स्वामी की उचित शिनाख्त करने के उपरान्त ही उसके पक्ष में उक्त वाहन यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो प्रार्थी/ वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में दिया जाये।

दिनांक - 02/12/2023

(इंदिरा दानू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर ,कानपुर देहात।
यू०पी०.3349